



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 207 राँची, सोमवार,
19 चैत्र, 1946 (श०)
8 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-17/2023-8431 (HRMS)--श्री बिरेन्द्र किन्डो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-455/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-72, दिनांक 02.02.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. दिनांक 13.10.2022 को समीक्षात्मक बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के Rejected Transation की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि प्रखण्ड मनिका में कुल-33 Rejected Transation, Re Generation हेतु लंबित है, जिसे शून्य करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा इसमें कोई रुची नहीं लिया गया जो दिनांक 07.12.2022 तक बढ़कर कुल 354 हो गया एवं कुल Rejected Transation का मात्र 31% ही सफलतापूर्वक regenerate किया गया है।

2. दिनांक 13.10.2022 को समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा अन्तर्गत मात्र 95.32% श्रमिकों का ही आधार सिडिंग किया गया है, जो जिला के औसत प्रगति से कम है। इनके द्वारा इस कार्य में रुची नहीं ली गई है।

3. दिनांक 07.12.2022 को मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2019-20 एवं उसके पूर्व की 1258 योजनाओं को लंबित रखा गया है, जो जिला में सर्वाधिक है। सभी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद भी योजना पूर्ण करने हेतु प्रगति लाने में कोई रुची नहीं ली गई।

4. मनरेगा अन्तर्गत निबंधित मजदूरों का शत प्रतिशत जॉबकार्ड सत्यापन करने हेतु बार-बार निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा प्रगति नहीं लायी जा रही है। दिनांक 13.10.2022 को कुल 666 मनरेगा श्रमिकों का जॉब कार्ड सत्यापन हेतु लंबित था, जो दिनांक 07.12.2022 तक बढ़कर कुल-1052 हो गया है।

5. मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का विभिन्न स्तरों पर जियो टैगिंग करना अनिवार्य है। योजनाओं का जियो टैगिंग के मामले में प्रखण्ड मनिका की प्रगति काफी असंतोषजनक है। दिनांक-13.10.2022 को Geo Tagging Phase II Stage III में 816 योजना जियो टैगिंग हेतु लंबित था, जो दिनांक- 07.12.2022 को बढ़कर 1079 हो गया है।

6. मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य के विरुद्ध 15 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक 344 श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान किया गया है, जो मनरेगा प्रावधान का उल्लंघन है।

7. मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को 100 दिनों का कार्य उपलब्ध कराने का प्रावधान है, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक मात्र 14 परिवारों को ही 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराया गया है।

8. मनरेगा अन्तर्गत वीर शहीद पोदो हो खेल विकास योजना के तहत बन रहे खेल मैदान में से एक भी योजना पूर्ण नहीं कराया गया है, जो कार्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

9. अपने वरीय एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश/स्पष्टीकरण/कारण पृ च्छा अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है।

10. श्री किण्डो के द्वारा उक्त कृत्य से उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यह सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i)के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक 30.03.2023 एवं पत्रांक- 2132 दिनांक 12.04.2023 द्वारा श्री किण्डो से स्पष्टीकरण की माँग गयी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया। श्री किण्डो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्यों के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3515, दिनांक 19.06.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

श्री किण्डो के पत्रांक-1130, दिनांक 11.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

1. वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के Rejected Transaction की समीक्षा उनके द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा तथा संबंधित ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं मुखिया को पत्रांक-1135 दिनांक 22.12.2022, पत्रांक-1209 दिनांक 09.12.2022 एवं पत्रांक-1069 दिनांक 21.11.2022 द्वारा पृच्छा किया गया। वर्तमान समय में लंबित उक्त वित्तीय वर्ष का Rejected Transaction पूर्ण कर लिया गया है।

2. वर्तमान में श्रमिकों का आधार सिंडिंग का कार्य 99.95% पूर्ण कर लिया गया है। उक्त कार्य के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनके द्वारा शत प्रतिशत पूर्ण किया गया।

3. मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उसके पूर्व की 1258 योजनाओं को पूर्ण करने हेतु उनके द्वारा समीक्षात्मक बैठक किया गया एवं उक्त लंबित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु संबंधित ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं मुखिया से कार्यालय पत्रों द्वारा पृच्छा किया गया। समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु तत्परता के साथ कार्य किया। फलस्वरूप कुल-1258 योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

4. मनरेगा अन्तर्गत निबंधित मजदूरों का शत प्रतिशत जॉबकार्ड सत्यापन करने हेतु सप्ताहिक बैठको में बार-बार संबंधित ग्राम रोजगार सेवक को कार्यालय के पत्रांक-1216, दिनांक 11.04.2022 द्वारा कारण पृच्छा किया गया। वर्तमान में निबंधित मजदूरों को शत प्रतिशत जॉब कार्ड सत्यापन कर लिया गया है।

5. मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का विभिन्न स्तरों पर Geo Tagging से संबंधित योजनाओं का शत-प्रतिशत पूर्ण कर ली गयी है।

6. मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों का मजदूरी का भुगतान करने हेतु संबंधित पंचायत सेवक एवं मुखिया को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में Delay भुगतान न किया जाय। वर्तमान में T+5 के अन्दर भुगतान किया जाता रहा है।

7. वित्तीय वर्ष-2022-23 में कुल-214 लाभुकों को 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराया जा चुका है।

8. मनरेगा अन्तर्गत वीर शहीद पोदो हो खेल विकास योजना के तहत बन रहे खेल मैदान से संबंधित वर्तमान समय में कुल-15 योजनाओं पूर्ण कर ली गई है और शेष कार्य प्रगति में है।

श्री किन्डो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। श्री किन्डो द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित तथ्यों एवं साक्ष्य के रूप में संलग्न MIS प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री किन्डो द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करते हुए वर्तमान तिथि तक लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही, श्री किन्डो उक्त अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका के अलावे अंचल अधिकारी, मनिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिका, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनिका के भी प्रभार में थे। फलस्वरूप उनकी कार्यबोझ भी अत्यधिक थी।

अतः समीक्षोपरांत, श्री बिरेन्द्र किन्डो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिरेन्द्र किन्दो, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIRENDRA KINDO JHK/JAS/269	श्री बिरेन्द्र किन्दो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
